

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
ज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-हिण्डौन जिला करौली

जिलास
कासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-146/2011

हेमराज गूर्जर, R.A.S.
दायर दिनांक:-24.08.2011

जीसीएमएस नं. 2011/00236

कुवल्ली राम उम्र 50 साल पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी गूर्जर गांवडा तहसील
हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

-----वादी

बनाम

1. धारासिंह उम्र 48 साल
2. कुन्जीलाल उम्र 45 साल
3. अमृतलाल उम्र 42 साल
4. भरतसिंह उम्र 40 साल
5. केशन्ति उम्र 35 साल पुत्री कन्हैया
6. कलावती उम्र 45 साल पत्नि धारासिंह
7. शाखा प्रबंधक आईसी आईसीआई बैंक, स्टेशन रोड, हिण्डौन सिटी
8. तहसीलदार लैण्ड होल्डर हिण्डौन सिटी

पिसरान
कन्हैया

जाति-मीना, निवासी-गूर्जरगांवडा
तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण-08

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 146/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा मिन कानिव मुदई प्रतिवादीगण 1 ता 6, 8 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी न0 7 हाजिरी श्री रमेश चंद गुप्ता रुबरु मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है, वादी ने इस संबंध में हाल में साबिक नक्शा शीट व जमाबन्दी भी पेश नहीं किये जिससे की उक्त रकवा के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस प्रकार वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 खारिज किया जाता है।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.07.2024 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गूर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन जिला करौली

